न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :— 24 / 2020 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00924)

श्यामवीर पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
............अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
.... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 17.7.2018 व तहसीलदार नदबई दिनांक 17.10.2017 प्र0सं0 40 / 2017 व 36 / 2017

उपस्थितिः—

1. श्री पुरूषोत्तम लाल मुद्‌गल वकील अपीलान्ट।
2. सरकारी पैरोकार वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः— 13.02.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट श्यामवीर द्वारा अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट तहसीलदार नदबई की ओर से उनवानी प्रकरण श्यामवीर बनाम सरकार 36 / 17 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध एक अपील इस आशय की पेश की गई कि पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 857 कुल रकबा 10.35 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट का दीवार बनाकर कब्जा किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार नदबई के समक्ष किये जाने पर तहसीलदार नदबई द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.10.2017 को पारित कर दिया। जबकि अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट का जवाब पेश होने पर पटवारी के बयान लिये जाने चाहिये थे परन्तु तहसीलदार द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रथम द्रष्टया यह कही भी स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित खसरा नंबर के 0.01 है0 रकबे पर कैसे व किस प्रकार कितनी लम्बाई चौडाई में अतिक्रमण किया हुआ है। विवादित खसरा नंबर के चिपके हुए अपीलान्ट की खातेदारी खसरा नंबर 846, 847, 848 स्थित है। यदि कोई अतिक्रमण भी है तो निर्णय से पूर्व पैमाइश किया जाना आवश्यक था।अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से सांठ—गांठ करके करवाई गई है। क्योंकि अपीलान्ट ने सरपंच के चुनाव में वर्तमान सरपंच के पक्ष में मतदान नहीं किया था। इसलिए रंजिशवश उक्त गलत रिकार्ड अपीलान्ट के विरूद्ध करवाई गई है। अपीलान्ट का विवादित खसरा नंबर 897 के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही

13/2/2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.18 के द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार नदबई को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया है कि वे अपीलान्ट की ओर से विवादित आराजी की पैमाइश करावें। मौका देखे कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है या नही तथा पटवारी हल्का के बयान लेकर पुनः निर्णय पारित करें। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की अपील को गलत रिमाण्ड किया है जबकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07. 2018 एवं तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही नियमविरूद्ध कार्यवाही को ड्राप किया जावे।

अपील पेश होने पर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई व अपीलाधीन निर्णय सबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पो0 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। प्रकरण मे उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तहसीलदार नदबई व जिला कलक्टर भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.17 व 17.07.18 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त कार्यवाही स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा रंजिश रखे जाने के कारण राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत रूप से करवाई गई है। विवादित खसरा नंबर 897 जिराके 0.01 है0 रकबे पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताया गया है, गलत है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं है। पटवारी हल्का ने भी अपने रिकार्ड में यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त खसरा नंबर के कौन सी दिशा में कितनी लम्बाई–चौडाई का अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा कयास के आधार पर घर बैठे सरपंच के कहने से उक्त रिपोर्ट की गई है। उक्त खसरा नंबर के संबंध में ही विजयाचंद पुत्र हरी व प्रकाश पुत्र विश्राम जाटव के विरूद्ध भी अतिकमण की कार्यवाही की गई थी परन्तु उनके विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इनको स्थानीय सरपंच का राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय सरपंच द्वारा अपीलान्ट को यह धमकी दी गयी है कि अपीलान्ट व उसके परिवार ने चुनाव में उसे वोट नहीं दिया था। इसलिए उक्त कार्यवाही करवाई गई है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया है जबकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है। वस्तुस्थिति यह है कि विवादित खसरा नंबर 897 से लगे हुए अन्य खसरा नंबर 845, 817, 848 अपीलान्ट की खातेदारी के हैं। जिनमें फसल खडी होने से पैमाइश भी नहीं हो सकती थी। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई द्वारा वाद संख्या 76/17 में अपीलान्ट को खसरा नंबर 897 पर अतिकमी नहीं माना था। इसके बाबजूद तहसीलदार नदबई व जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को अतिकमी मानने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.18 व तहसीलदार नदबई की ओर से पारित निर्णय दिनांक 17.10.17 निरस्त किया जावे व अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.18 तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जिला कलक्टर भरतपुर ने तहसीलदार नदबई की ओर से पारित आदेश दिनांक 17.10.17

13/2/2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार नदबई को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट के विवादित खसरा नवर 897 के 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने के बाद ही तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण तहसीलदार नदबई को रिमाण्ड किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.18 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय व अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि पटवारी हल्का द्वारा उक्त कार्यवाही स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच के कहने पर गलत रूप से की गई है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया कि खसरा नंबर 897 के किस दिशा में कितनी लम्बाई–चौडाई में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि 0.01 रकबे का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 17.07.18 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 897 रकबा 1.35 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के 0.01 है0 में दीवार बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अपीलान्ट को तहसीलदार नदबई द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया जिसका अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के बाद तहसीलदार नदबई द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.10.17 पारित किया गया है। जिसके द्वारा अपीलान्ट को विवादित खसरा नंबर से बेदखल किये जाने व 50 गुना शास्ती आरोपित किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय की अपील अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.18 को पारित किया है जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.17 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार नदबई को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे अपीलान्ट की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाइश करायें, मौका देखें। आया कथित अतिक्रमण (निर्माण) विवादित आराजी में है या प्रार्थी के खातेदार रकबे में है। हल्का पटवारी के बयान लेकर अपीलान्ट को जिरह का मौका देकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 में हमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किया है। इस निर्णय तहसीलदार नदबई को अपीलान्ट की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाइश कराने, मौका देखने व पटवारी हल्का के बयान आदि लेने व अपीलान्ट को जिरह का मौका देकर विधिवत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये हैं। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुए तथ्यों को नहीं देखा गया, सारहीन हो जाता है। जहां तक विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होने, अपीलान्ट की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खातेदारी की भूमि में दीवार बनाये जाने, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच की रंजिश के कारण पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश किये जाने, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का सिविल न्यायालय द्वारा अतिक्रमण नहीं माने जाने आदि का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट अदालत मातहत में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलान्ट की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा पुनः पैमाइश कराये जाने व मौका देखने के बाद यदि यह स्थिति सामने आती है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तो स्वतः ही कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही को केवल मात्र इस आधार पर ड्रॉप किया जाना उचित नहीं है कि स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा रंजिशवश उक्त रिपोर्ट करवाई गई है। इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा न तो अदालत हाजा और न ही अदालत मातहत में ही प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर